रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 288] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 29, 1971/वैशाख 9, 1893

No. 288] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 29, 1971/VAISAKHA 9, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th April 1971

S.O. 1757.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1485, dated the 31st March, 1971, the Central Government hereby directs that every employer in relation to an establishment exempted under clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 17 of the said Act or in relation to an employee or a class of employees exempted under paragraph 27, or as the case may be, paragraph 27A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, shall transfer the monthly provident fund contributions within fifteen days of the close of the month to the Board of Trustees, duly constituted in respect of that establishment, and that the said Board of Trustees shall invest every month, within a period of two weeks from the date of receipt of the said amounts from the employer, the provident fund accumulations, that is to say that contributions, interest and sundry receipts as reduced by any obligatory outgoings in accordance with the following pattern, namely:—

(i) in Central Government securities—Not less than 45 per cent

(ii) in State Government securities, the securities guaranteed by the Central Government or the State Governments, in the tax free Small Savings securities and in the 1 year, 3 year and 5 year Time Deposits in Post Offices—Balance.

The above pattern will be in force for the period from 1st April, 1971 to the 31st March, 1972.

2. All re-investment of provident fund accumulations (whether invested in securities created and issued by the Central Government or in savings certificates issued by the Central Government or in securities created and issued by a State Government) shall also be made according to the pattern mentioned in paragraph 1 above.

3. The Board of Trustees shall formulate proper procedure for prompt investment or reinvestment of accumulations in accordance with the aforesaid directions and shall have it approved by the Regional Provident Fund Commissioner concerned.

4. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1971.

[No. I/11012(6)/71-PF-I/I.]

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1971

का० आ० 1757.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 1485 तारीख 31 मार्च, 1971 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन छूट प्राप्त स्थापन से सम्बद्ध या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 27 या, यथास्थिति, परा 27-क के अधीन छूट प्राप्त किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग से सम्बद्ध प्रत्येक नियोजक भविष्य निधि के मासिक अभिदाय उस स्थापन की बाबत सम्यक् रूप से गठित न्यासी-बोर्ड को मासान्त के पन्द्रह दिन के भीतर अन्तरित कर देगा और उक्त न्यासी-बोर्ड भविष्य निधि संचयनों को, अर्थात् अभिदायों, ब्याज और विविध प्राप्तियों को, बाध्यकर निर्गमों को कम करके, निम्नलिखित नमूने के अनुसार हर मास, नियोजक से उक्त रकमों की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर विनिहित करेगा, अर्थात् :—

(i) केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों में— . . .	45 % से न्यून
(ii) राज्य सरकार प्रतिभूतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियों में, करमुक्त अल्प बचत प्रतिभूतियों में और डाकघरों में एक वर्षीय, तीन वर्षीय और पंचवर्षीय आवधिक जमाओं में ।	शेष

उपर्युक्त नमूना प्रथम अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

2. भविष्य निधि संचयनों के सभी पुनर्विनिधान (चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में विनिहित किए जाए या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बचत प्रमाणपत्रों में या किसी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में) भी ऊपर पैरा 1 में उपवर्णित नमूने के अनुसार किए जाएंगे ।

3. न्यासी-बोर्ड संचयनों के पूर्वोक्त निदेशों के अनुसार तत्काल विनिधान या पुनर्विनिधान के लिए उचित प्रक्रिया बनाएगा और उसे सम्बन्धित प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त से अनुमोदित कराएगा ।

4. यह अधिसूचना अप्रैल, 1971 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी :

[सं० आई०/11012(6)/71-पी०एफ० 1/1]

S.O. 1758.—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 52 of the Employees' Provident Funds Scheme and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1486, dated the 31st March, 1971, the Central Government hereby directs that accumulations out of provident fund contributions, interest and other receipts as reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the following pattern, namely:—

(i) in Central Government securities—Not less than 45 per cent.

(ii) in State Government securities, the securities guaranteed by the Central Government or the State Governments, in the tax-free Small Savings securities and in the 1 year, 3 year and 5 year Time Deposits in Post Offices.—Balance.

2. All reinvestment of provident fund accumulations (whether invested in securities created and issued by the Central Government or in savings certificates issued by the Central Government or in securities created and issued by a State Government) shall also be made according to the pattern mentioned in paragraph 1 above.

3. The above pattern will be in force for the period from the 1st April, 1971 to the 31st March, 1972.

4. This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1971.

[No. I/11012(6)/71-PF-I/II.]

D. S. NIM, Jt. Secy.

का० आ० 1758.—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के पैरा 52 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 1486 तारीख 31 मार्च, 1971 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भविष्य निधि अभिदायों के संचयनों, ब्याज और अन्य प्राप्तियों को, बाध्यकर निर्गमों को कम करके, निम्नलिखित नमूने के अनुसार विनिहित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों में . . .	45% से अन्यून
(ii) राज्य सरकार प्रतिभूतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियों में, करमुक्त अल्पबचत प्रतिभूतियों में और डाकघरों में एक वर्षीय, तीन वर्षीय और पंचवर्षीय आवधिक जमाओं में ।	शेष

2. भविष्य निधि संचयनों के सभी पुनर्विनिधान (चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में विनिहित किए जाएं या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बचत प्रमाणपत्रों में या किसी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों) भी ऊपर पैरा 1 में उपवर्णित नमूने के अनुसार किए जाएंगे ।

3. उपर्युक्त नमूना प्रथम अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

4. यह अधिसूचना अप्रैल, 1971 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० आई०/11012(6)/71-पी०एफ०-1/2]

डी० एस० निमि, संयुक्त सचिव ।

Explanatory Memorandum

In the notifications of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) Nos. S.O. 1485, dated the 31st March, 1971 and S.O. 1486, dated the 31st March, 1971, the Central Government directed that Provident Fund accumulations of exempted and unexempted establishments covered by the Employees' Provident Funds Act, 1952 should be invested in accordance with the following pattern for the period from the 1st April, 1971 to the 30th April, 1971:—

(i) in Central Government securities—Not less than 50 per cent.

(ii) in State Government securities, the securities guaranteed by the Central Government or the State Governments, in the tax-free Small Savings securities and in the 1 year, 3 year and 5 year Time Deposits in Post Offices.—Balance.

2. This direction was issued as an interim measure pending settlement of the investment pattern for the year 1971-72 as a whole. The investment pattern for the year 1971-72 has now been settled and it will be as laid down in the notification, dated the 29th April, 1971. The revised pattern will come into force from the 1st April, 1971. This will not, however, affect the investments already made since the 1st April, 1971, because investments according to the revised pattern can be made in such a way that the total investments for the period from 1st April, 1971 to the 31st March, 1972 conform to the revised pattern. No one's interest will, therefore, be adversely affected by giving retrospective effect to these notifications.

स्पष्टीकरण ज्ञापन

भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 1485, तारीख 31 मार्च, 1971 और का०आ० 1486, तारीख 31 मार्च, 1971 में केन्द्रीय सरकार ने यह निदेश दिया था कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आने वाले छूट-प्राप्त और छूट-न-प्राप्त प्रस्थापनों की भविष्य निधि के संचयनों का विनिधान प्रथम अप्रैल, 1971 से 30 अप्रैल, 1971 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित नमूने के अनुसार किया जाना चाहिए:—

(i) केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों में . . . 50% से अन्यून ।

(ii) राज्य सरकार प्रतिभूतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियों में, कर-मुक्त अल्प-बचत प्रतिभूतियों में और डाकघरों में एक वर्षीय, तीन वर्षीय और पंचवर्षीय आवधिक जमाओं में । } शेष।

2. यह निदेश, समस्त 1971-72 वर्ष के लिए विनिधान के नमूने का परिनिर्धारण लंबित रहने तक, एक अन्तरिम उपाय के रूप में जारी किया गया था। वर्ष 1971-72 के लिए विनिधान का नमूना अब परिनिर्धारित कर दिया गया है और यह ऐसा होगा जैसा कि तारीख 29 अप्रैल, 1971 की अधिसूचनाओं में अधिकथित है। पुनरीक्षित नमूना प्रथम अप्रैल, 1971 से प्रवृत्त होगा। किन्तु इसका पहले से ही प्रथम अप्रैल, 1971 से किए गए विनिधानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पुनरीक्षित नमूने के अनुसार विनिधान इस प्रकार से किए जा सकते हैं कि प्रथम अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 की अवधि के कुल विनिधान पुनरीक्षित नमूने के अनुरूप हो जाएं। अतः इन अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971